# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी–डॉ. कृति व्यास, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या वाद–06 / 2022

**अनवान**

1. भैरू पिता दल्ला बंजारा जाति बंजारा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी ग्राम थमलाव तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. सुरेन्द्र जैन पिता प्रकाश चन्द्र जैन उम्र बालिग निवासी आदर्श नगर कुन्हाडी कोटा जिला कोटा जरिए आम मुख्तियार भैरू पिता दल्ला बंजारा जाति बंजारा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी ग्राम थमलाव तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

.....वादी

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिए जिलाधीश महोदय, चितौडगढ़।
2. श्री भूमिधारी जरिए तहसीलदार रावतभाटा

.....प्रतिवादीगण

## प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट एवं धारा 88 रा.टी.एक्ट

## प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी.

उपस्थित–श्री प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक वादी
अप्रार्थी संख्या पेरोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक– 25.03.2026

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रकरण संख्या 06 / 2022 भैरू बनाम श्री राजस्थान राज्य जरिए जिलाधीश वगैरा में दिनांक 25.03.2026 को प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा माननीय आप में वादी भैरू बंजारा ने दिनांक 22.06. 2021 को उक्त अनवान का एक वाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें कार्यवाही विचाराधीन होकर बहस अन्तिम हेतु मुकर्रर है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 दिवानी प्रक्रिया संहिता में निवेदन किया है कि वादी उक्त प्रकरण को वादी तकनिकी त्रृटि के कारण विड्रो कर नया वाद पेश करना चाहता हूँ, इसलिए वादी को नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ उक्त वाद पत्र को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावें। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ इस दावे को विड्रो करने की अनुमति दी जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र में पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 जा0दी0 किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ने ग्राम थमलाव प0ह0 बाडौलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ में सम्वत् 2055–58 की खाता संख्या 58 आराजी संख्या 80/10 रकबा 1.08है0 जमीन पर वादी भैरूलाल ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त जमीन एकसाखी है। बाद में भैरूलाल ने दिनांक 10.06.2003 को अपने खाते की आराजी संख्या 80/10 मे से रकबा 0.86है0 जमीन वादी संख्या 02 सुरेन्द्र पिता प्रकाश चन्द्र जैन निवासी कोटा को विक्रय की थी, सुरेन्द्र जैन कोटा रहते है, इसलिए उनकी सहमति से वादी भैरूलाल ही इस जमीन पर काश्त करता आ रहा है। वादी संख्या 02 सुरेन्द्र के नाम नामन्तरण संख्या 195 से नामान्तरण भी खुल चुका है। रावतभाटा तहसील में सेटलमेंट का कार्य हुआ जिसमे वादीगणों के खाते की जमीन के नये नम्बर 310 दर्शाये गये है लेकिन यह जमीन बिलानाम दर्ज बता दी गई है। जबकि जमीन पर अभी वादीगण ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस जमीन पर वादीगणों को सुखाधिकार भी प्राप्त है। इस संबधं में वाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया था किन्तु उक्त वाद पत्र में तकनिकी त्रृटियां रह गई है, इस कारण से प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 को स्वीकार कर वाद पेश करने की अनुमति के साथ इस दावे को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावें। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व बहस पर किसी पार का कोई खण्डन नहीं किया गया।

वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 दिवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद पत्र में ऐसी प्रक्रियात्मक एवं तकनिकी त्रुटियां (procedural and Technical defects) विद्यमान हैं, जिनके कारण वाद पत्र का गुण–दोष के आधार पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद पत्र को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर, नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। वाद पत्र एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। विचारण से यह परिलक्षित होता है कि विवादित आराजीयात में तकनीकी त्रृटियां विद्यमान है, इस कारण वादी द्वारा वाद पत्र धारा 88 आर.टी. एक्ट को विड्रो कर नया वाद पेश करने की अनुमति देने का निवेदन किया है। वाद की वर्तमान संरचना में इन त्रुटियों का सुधार इस स्तर पर संभव नहीं है। उक्त त्रुटियां वाद के गुण–दोष से संबंधित न होकर औपचारिक/प्रक्रियात्मक त्रुटियां/तकनिकी त्रृटियां (formal/Technical defects) हैं, जिनके रहते वाद का प्रभावी एवं न्यायोचित निराकरण संभव नहीं है। न्यायालय यह भी पाता है कि यदि वादी को वाद पत्र वापस लेने की अनुमति नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दी जाती है, तो उसे अपूरणीय क्षति (irreparable loss) हो सकती है तथा न्यायहित (interest of justice) प्रभावित होगा।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह मामला Order 23 Rule 1 CPC के अंतर्गत आता है, जिसमें वादी को वाद वापस लेकर पुनः वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 22.06.2021 को Order 23 Rule 1 CPC के अंतर्गत वापस लिया हुआ मानते हुए निरस्त (dismissed as withdrawn) किया जाता है तथा वादी को उसी विषय वस्तु पर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता (liberty to file fresh suit) प्रदान की जाती है

**आदेश आज दिनांक 25.03.2026 को सुनाया गया।**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला–चितौडगढ़ (राज.)